न्यायालय – सुनील कुमार नंदे, अपर सत्र न्यायाधीश, (स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेस) रायपुर (छ0ग0)

जमानत याचिका कमांक 2645/2019
संस्थित दिनांक 22.10.2019
अपराध कमांक 398/2019
आरक्षी केन्द्र गुढ़ियारी
(आदेश दिनांक 24.10.2019 की प्रतिलिपि)

गौतम पाण्डेय, उम्र 27 वर्ष,
पिता श्री शिवदत्त पाण्डेय,
निवासी ग्राम मोहतरा, थाना
खण्डसरा, जिला बेमेतरा छ.ग.
हाल मुकाम शीतला मंदिर के
पास, अशोक नगर, गुढ़ियारी
रायपुर तह. व जिला रायपुर छ.ग. ----------**आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्व

छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा आरक्षी केन्द्र गुढ़ियारी,
जिला–रायपुर छ.ग. --------**अनावेदक/अभियोजन**

24.10.2019

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर के आदेशानुसार यह जमानत आवेदन विधिवत् निवर्तन हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर थाना गुढ़ियारी के अपराध क्र. 398/2019, अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. का केस डायरी सहित प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री भूपेश कहार, अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री के.के.शुक्ला, लोक अभियोजक उपस्थित।

इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा **439 दं0प्र0सं0** का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। केस डायरी का परिशीलन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता ने इस आशय का जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झुठा फंसाया गया है। अभियुक्त अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गयी है। अभियुक्त स्थानीय निवासी है, उसके फरार होने की संभावना नहीं है। प्रकरण के विवेचना एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अभियुक्त न्यायालय के समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसका जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में शिवदत्त पाण्डेय ने शपथ

पत्र प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदक/अभियुक्त का माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर के सक्षम यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा **439 दं0प्र0सं0** का है। इसके पूर्व माननीय सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के समक्ष न कोई जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है और न ही लंबित है या निराकृत किया गया है।

केस डायरी के अनुसार घटना दिनांक 08.10.2019 को प्रार्थी ताराचंद साहू छोटा अशोक नगर बुद्व विहार के सामने गली शिव मंदिर नीम झाड़ के पास अपने वाहन एक्टिवा आई क्रमांक सी.जी.04 एमए/1550 को खड़ी किया था, जिसे अज्ञात चोर व्दारा चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर उक्त अपराध पंजीबद्व कर विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफतार किया गया और उसके मेमोरेंडम के आधार पर चोरी गयी उक्त एक्टिवा जप्त किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क किया है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त **गौतम पाण्डेय** के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.10.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण में चोरी की संपत्ति की जप्ती की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त से विवेचना के दौरान अन्य किसी वस्तु की बरामदगी किया जाना या अन्य कोई विवेचना उसके संबंध में शेष नहीं रह गया है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड दर्शित नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त **गौतम पाण्डेय** की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत **धारा 439 दं0प्र0सं0** स्वीकार किया जाता है और यह आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से यदि 5000/– रूपये (अक्षरी पॉच हजार रूपए) का सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र विचारण न्यायालय की संपूर्ण संतुष्टि योग्य प्रस्तुत किया जावे तो उसे थाना थाना गुढ़ियारी के अपराध क्र. 398/2019, अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में इस शर्त पर रिहा किया जावे कि –

1– आवेदक/अभियुक्त इस मामले के अभियोजन साक्षियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

2– इसी प्रकार के अन्य किसी अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा।

3– विचारण न्यायालय के समक्ष समस्त पेशी तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता

रहेगा।

4— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उसे पुनः अभिरक्षा में लिया जा सकेगा।

आदेश की एक प्रति माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर को अवलोकनार्थ, एक प्रति विचारण न्यायालय को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को सूचनार्थ भेजी जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सुनील कुमार नंदे
अपर सत्र न्यायाधीश
(स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट
फॉर ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेस)
रायपुर (छ0ग0)

<u>प्रतिलिपि :—</u>

1. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर की ओर सादर अवलोकनार्थ संप्रेषित।
2. श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर छ.ग. अथवा संबद्ध न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. थाना प्रभारी, थाना गुढ़ियारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सुनील कुमार नंदे
अपर सत्र न्यायाधीश
(स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट
फॉर ट्रायल ऑफ सी.बी.आई केसेस)
रायपुर (छ0ग0)

<u>प्रमाण पत्र</u>

मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गयी है।

स्टेनोग्राफर/साक्ष्य लेखक/अन्य का नाम :—मातेश्वर देवांगन, स्टेनोग्राफर